

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./नियमन/बी-6/नियमन/1785

भोपाल, दिनांक 25/04/2019

प्रति,

- 1 संयुक्त/उपसंचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय(समस्त)
- 2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति.....(समस्त)

विषय:-मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओं को किसानों की कृषि उपज की कीमत भुगतान जोखिम हेतु एक दिन की अधिकतम कय क्षमता के अनुरूप प्रतिभूति जमा करने बावत।

संदर्भ:-कार्यालयीन परिपत्र क्र०/नि०/बी-6/उपविधि/1-3/531-532 दिनांक 5.06.2017, परिपत्र क्रमांक 1414-1415 दिनांक 23.9.2017, परिपत्र क्रमांक 1479-1480 दिनांक 11.10.2017, परिपत्र क्रमांक 1578-1579 दिनांक 27.10.2017, परिपत्र क्रमांक 1620-1621 दिनांक 7.11.2017, परिपत्र क्रमांक 1830-1831 दिनांक 9.4.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 1834-1835 दिनांक 10.4.2018

1/ विषयांतर्गत सन्दर्भित परिपत्रों के माध्यम से, कृषको/उत्पादको को मण्डी प्रांगण में बेची गई अधिसूचित कृषि उपज के पूर्ण एवं त्वरित भुगतान के संबंध में नगद, आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० से भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं एवं बैंक से कृषि उपज के भुगतान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सन्दर्भित परिपत्रों को मण्डी समितियों के ई-मेल ऐड्रेस पर यथासमय प्रेषित भी किया गया है।

2/ मंडियाँ प्रतिदिन यह आश्वस्त कर ले कि किसानों को भुगतान प्राप्त हो चुका है, के आधार पर ही व्यापारियों को नीलामी में भाग लेने हेतु अनुज्ञात किये जायें।

3/ अतः आपके संभाग अन्तर्गत मंडियों में निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सतत रूप से हो रही है, यह सुनिश्चित किया जाये।

(फैज़ अहमद किदवई) 25/4

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल